राजस्थान सरकार
राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय,
भूतल, डी–ब्लॉक, वित्त भवन,
जनपथ, जयपुर

क्रंमाकः– एफ1( )लेखा/एस.डी.आर.आई./टेण्डर/2020–21/ दिनांकः–

निविदा सूचना 01/2020–21

वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु कार्यालय महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, जयपुर के लिए मशीन विद् मैन आपूर्ति हेतु पंजीकृत प्रतिष्ठित फर्मों से निम्नलिखित प्रकार से मुहर बन्द निविदाएं आंमत्रित की जाती हैः–

क्र. सं.	कार्य/सेवा का नाम	अनुमानित लागत (रूपये में)	बोली प्रपत्र शुल्क राशि	अमानत राशि @2% (रूपये में)	निविदा प्राप्त करने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक व समय
1.	मशीन विद् मैन (आठ)	8,80,000/–	200/–	17600/–	02.09.2020 अपरान्ह् 3.00 बजे तक	02.09.2020 अपरान्ह् 4.00 बजे

1. बोली प्रपत्र एवं बोली की अन्य शर्ते निर्धारित प्रपत्र आदि दिनांक 19.08.2020 से 02.09.2020 को दोपहर 1:00 बजे तक, कार्यालय समय में खंजाची से प्राप्त की जा सकती हे। भरे हुए प्रपत्र दिनांक 02.09.2020 को दोपहर 3:00 तक कार्यालय में जमा करवाये जा सकते है। बोलियां उसी दिवस सांय 4:00 बजे उपस्थित बोली दाताओं के समक्ष खोली जावेंगी।
2. बोलियों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकारी अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, जयपुर को होगा।
3. धरोहर राशि केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक के द्वारा, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के नाम जारी हो, ही स्वीकार की जाएगी। नकद, चैक अथवा अन्य किसी रूप में धरोहर राशि स्वीकार नहीं की जाएगी।
4. विस्तृत निविदा सूचना http//sppp.raj.gov.in एवं विभागीय साईट sdri@rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

-Sd-
कार्यालयाध्यक्ष

क्रंमाकः– एफ1( )लेखा/एस.डी.आर.आई./टेण्डर/2020–21/608 दिनांकः– 18/8/2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर को छः प्रतियां मय सीडी भेजकर निवेदन है कि इस बोली निविदा सूचना को नियमानुसार राज्य स्तरीय समाचार पत्र भास्कर/पत्रिका में प्रकाशित करवाकर भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों में राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, जयपुर के नाम भिजवायें।
2. ए.सी.पी कार्यालय हाजा को राज्य उपापन पोर्टल पर प्रकाशित कर सी.डी., UBN No. संख्या उपलब्ध कराने एवं विभागीय साईट पर अपलोड कराने बाबत।
3. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
4. नोटिस बोर्ड, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, जयपुर।
5. उपापन समिति सदस्य, समस्त.....
6. रक्षित पत्रावली।

कार्यालयाध्यक्ष

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय
राजस्थान, जयपुर

तकनीकी–वाणिज्यिक बोली प्रपत्र

1. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति कर बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी:–

क्र. सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रंमाक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इंडियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इंडियन कम्पनी एक्ट 1956 के अंतर्गत				

2. संवेदक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी:–

क. स.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मशीन विद मैन	उच्च कुशल– 8	7358		नियमानुसार	नियमानुसार		

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1–4,6 व 7 की पूर्तियां संबंधित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध कराई जायेंगी तथा केवल स्तम्भ संख्या 5,8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जा सकेंगी)

3. निविदादाता द्वारा बोली प्रतिभूति राशि एवं बोली प्रपत्र शुल्क राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक अति. निदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, जयपुर के नाम तथा बोली प्रतिभूति राशि/प्रपत्र शुल्क का डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक अति. निदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, जयपुर के केशियर को भौतिक रूप से यथा समय जमा करवाना आवश्यक है।

4. निविदा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के संबंध में जारी दिशा–निर्देश एवं वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र क्रंमाक दिनांक 30.04.2018 के अधीन रहेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय सील

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय
राजस्थान, जयपुर

बोली की सामान्य शर्तें

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
2. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत तकनीकी वाणिज्यिक बोली प्रपत्र के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि स्कैन कर पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
3. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुंगतान किया जायेगा।
4. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
5. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीन दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों को नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
6. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
7. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में

वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निवर्हन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

8. श्रम विभाग के अन्तर्गत निर्धारित नियमों,उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
9. यदि संवेदक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिये राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, जयपुर के समक्ष प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
10. मशीन विद् मैन की संख्या मे कमी/वृद्वि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारंटी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकार का आधारी नहीं होगा। मशीन विद् मैन की संख्या वृद्वि होने पर अनुबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।
11. इस कार्यालय द्वारा विद्यमान संविदाएं उसी कीमत, निबंधनों और शर्तों पर नियमानुसार कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी, यदि संविदा के अधीन मशीन विद् मैन उपाप्त किये जाने या उसके घटकों की बाजार कीमतें इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हो।
12. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।
13. मूल्यांकन की कसौटी–तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में सफल/क्वालिफाइड बोलीदाता /संवेदक की कुल न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली क्वालिफाईग बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।
14. बोलियों का अपवर्जनः– अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
15. बोली प्रतिभूति राशि अति. निदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, जयपुर के नाम पर डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करायी जावेगी। सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति बोलीदाताओ को लौटा दी जावेगी। बोली

प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security) बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा:–

(क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपनी प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।

(ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।

(ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकार की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।

(ड) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

16. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security):-

(अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृत आदेश पत्र की दिनांक से 15 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक अति. निदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, जयपुर के नाम पर या आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के नियम 75 के अनुसार जमा करानी होगी एवं सफल बोलीदाता स्वयं के व्यय पर 500 रूपये राशि के नॉन ज्यूडिशिल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा। जिसकी पालना के लिए अनुबंधित बोलीदाता मालिक/भागीदारों की मृत्यु की दशा में उनके वैधानिक उत्तराधिकारी जिम्मेदार होगें।

(ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा में बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।

(स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

17. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):- कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा:–

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जावेगा। इस संबंध में उपापन संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।

18. भुगतानः—

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा। बिल का भुगतान आवश्यक कर/वसूली कटौती उपरान्त किया जावेगा।

19. अंकेक्षण के दौरान यदि बोलीदाता के विरूद्व किसी प्रकार की बकाया राशि निकाली जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति बोलीदाता द्वारा की जावेगी अन्यथा ऐसी स्थिति में कार्यालय में उपलब्ध/जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से उक्त बकाया राशि को समायोजित कर लिया जावेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

विशिष्ट शर्तें

1. अनुबंध प्रारम्भ में 6 माह की अवधि के लिये होगा एवं संतोषप्रद कार्य करने पर उसे बढ़ाया जाएगा।
2. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली की फीटिंग की व्यवस्था इस विभाग द्वारा की जावेगी। विद्युत व्यय का भार विभाग वहन करेगा। यह विभाग यह सुविधा भी प्रदान करेगा कि कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण ताले में रखें जा सके।
3. बोलीदाता को दिन–प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद या पूर्व आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवायें जारी रखनी होगी। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाले नया टोनर/नया रिबन प्रथम बार बोलीदाता द्वारा दिया जायेगा, तत्पश्चात् विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। स्टेशनरी, सीडी, पैन ड्राईव कन्ज्यूमेबल्स आदि आवश्यकता अनुसार कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी तथा वह कार्यालय की सम्पत्ति रहेगी।
4. किसी भी माह के चार कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा। यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 200/– रूपयें की कटौती की जावेगी।
5. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। इसके लिये किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की संभावना होगी तो बोलीदाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।
6. यदि कम्प्यूटर सिस्टम इस विभाग की सन्तुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो बोलीदाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जायेगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नहीं कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा को निरस्त किया जा सकेगा तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
7. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होगी। अतः यदि बोलीदाता चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
8. कम्प्यूटर सेवाओं के लिये किसी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जावेगा।
9. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर संबंधित अधिकारी जिसके यहां कार्य किया जाता है, के द्वारा बिल सत्यापन उपरान्त बोलीदाता के खाते में किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जावेगा।
10. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार इस (विभाग व बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जाएगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय सील